# कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर खण्ड जोधपुर

नैनी बाईजी का मंदिर, उदयमंदिर, जोधपुर E-Mail Id:- ac.jodhpur.dev@rajasthan.gov.in Tel. No- 0291-2650361

क्रमांक :– लेखा/देव/जोध./2022/4156 दिनांक :– 23.12.22

## निविदा सूचना संख्या 04/2022–23

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के अधीन सहायक आयुक्त कार्यालय जोधपुर के नियंत्रणाधीन राजकीय मंदिरों की जोधपुर शहर मे स्थित 32 सम्पदाओं (आवासीय/व्यवसायिक) को सीलबंद लिफाफे में खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा 10 वर्ष हेतु किराये पर देने की कार्यवाही की जानी है। इस हेतु इच्छुक बोलीदाता निविदा की समस्त शर्तों के साथ सीलबंद लिफाफे में अपनी बोली सम्बन्धित सम्पदा के समक्ष अंकित तिथि व समय तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् उस सम्पदा से सम्बन्धित बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा। सीलबंद लिफाफे पर जिस सम्पदा हेतु बोली प्रस्तुत की जा रही हैं उसका नाम एवं सम्पदा संख्या लिखना अनिवार्य होगा एवं निविदा निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता द्वारा सम्पदाओ का विवरण एवं निविदा की शर्ते www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devasthan.rajasthan. gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती हैं एवं कार्यालय समय मे भी नियम व शर्ते देखी जा सकती हैं तथा निविदा प्रपत्र इस कार्यालय मे 500/– नकद जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं।किराये पर दी जाने वाली सम्पदाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:–

| क्रं सं. | नाम मंदिर | संपदा का विवरण | न्यूनतम सरकारी बोली प्रतिमाह किराया (रूपयों में) | अमानत/ धरोहर राशि (रूपयों में) | बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय | निविदा खोलने की तिथि व समय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–141 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 2. | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–142 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 3. | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–143 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 4 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–144 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 5 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–145 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 6 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–146 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 7 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–147 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 8 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–148 | 12033 | 2890 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 9 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–149 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 10 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–150 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 11 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–151 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–152 | 12434 | 2985 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 13 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–153 | 12968 | 3115 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 14 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–154 | 12968 | 3115 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 15 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–155 | 12968 | 3115 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 16 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–156 | 12968 | 3115 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 17 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–157 | 12968 | 3115 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 18 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–158 | 16043 | 3850 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 19 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–159 | 15642 | 3755 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 20 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–160 | 15375 | 3690 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 21 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–161 | 19386 | 4655 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 22 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–162 | 18583 | 4460 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 23 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–163 | 17514 | 4205 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 24 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–164 | 16580 | 3980 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 25 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–165 | 14877 | 3570 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 26 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–166 | 14706 | 3530 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 27 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–167 | 14500 | 3480 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 28 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राजरणछोड जी की बाईजी का तालाब के सामने सम्पदा, जोधपुर | व्यवसायिक दुकान सं.–168 | 14975 | 3595 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 29 | कार्यालय भवन सुमरे मार्केट घण्टाघर धान मण्डी जोधपुर | व्यवसायिक | 120197 | 28850 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 30 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री गंगश्यामजी जूनी मण्डी जोधपुर | आवासीय | 2041 | 490 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 31 | राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर अटल बिहारी, फतेह सागर, जोधपुर | आवासीय मकान नं.5 | 7425 | 1785 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |
| 32 | राजकीय आत्म निर्भर कबीर पंथी बगीची, बाईजी का तालाब, जोधपुर | आवासीय | 11290 | 2710 | 24.01.2023 सांय 06.00 बजे तक | 25.01.2023 प्रातः 11:00 बजे से |

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग जाधपुर

Scanned with CamScanner

# निविदा की शर्तें

1. **बोलीदाता की पात्रताः**—बोलीदाता को बोली के साथ अन्य विभागीय सूचनाओं के साथ–साथ अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आइडी उपलब्ध करवाना होगा। सफल बोलीदाता को अपना बैंक अकाउन्ट नम्बर, ब्रांच और आई.एफ.एस.सी. कोड भी उपलब्ध करवाना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी/बेदखली की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

2. निविदा मे उल्लेखित सम्पदा को किराये पर लेने के इच्छुक निविदादाता इस कार्यालय से 500/– रूपये नगद जमा करवा कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। ऑनलाईन SPPP Portal (www.sppp.rajasthan.gov.in) विभागीय वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर बिड़ प्रपत्र डाउनलोड़ किया जा सकता है। **निविदा प्रपत्र डाउनलोड़ कर भरने पर उस बोलीदाता को सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जोधपुर के पक्ष में 500/– (पांच सौ रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।** इसके अभाव में उक्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। निलामी से संबंधित शर्ते कार्यालय हाजा मे कार्यालय समय मे आकर नोटिस बोर्ड पर देखी व पढी जा सकेगी।

3. **धरोहर राशिः–** बोली के साथ बोलीदाता को वार्षिक न्यूनतम बोली दर राशि की 2 प्रतिशत धरोहर/अमानत राशि डी.डी/बैंकर्स चैक के रूप में **(जो कि सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर के पक्ष में देय हो)** जमा करनी होगी। इसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी। बोली में असफल रहने पर उक्त धरोहर राशि सम्बन्धित बोलीदाता को वापिस कर दी जावेगी। बोली में **एच–2** के रूप में असफल बोलीदाता की धरोहर राशि सफल बोलीदाता **एच–1** के द्वारा निर्धारित धरोहर/अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि तक विभाग के पास सुरक्षित रहेगी तदुपरान्त उसे यह राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जावेगी। सफल बोलीदाता को उस वर्ष की देय राशि का 50 प्रतिशत (अधिकतम बोली का छः गुणा) तत्काल जमा कराना होगा जो विभाग के पास प्रतिभूति के रूप में ब्याज रहित जमा रहेगा। इसका किराया पेटे समायोजन नही किया जा सकेगा परन्तु व्यतिक्रमी होने पर उक्त राशि को किराये के विरूद्ध समयोजित किया जा सकेगा।

4. बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करते समय बंद लिफाफे पर सम्पदा का नाम, मंदिर का नाम व सूची में अंकित सम्पदा की क्रम संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जानी है। **बंद लिफाफे में प्रपत्र–अ पूर्ण भरा हुआ, हस्ताक्षरित निविदा की शर्तें क्रमांक 1 से 22 एवं आधार कार्ड/जन आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित (हस्ताक्षरित) प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अभाव मे बोली स्वीकार नही की जायेगी।**

5. बोलीदाता द्वारा एक सम्पदा की बोली के लिए एक प्रपत्र ही भरा जाना है। यदि वही बोलीदाता निविदा सूचना में अंकित विभाग की अन्य सम्पदा को किराये पर लेना चाहे तो उसकी बोली के लिए उसे दूसरा निविदा प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी बोलीदाता द्वारा एक निविदा प्रपत्र के साथ एक से अधिक सम्पदाओं की दरें प्रस्तुत की गई तो वह निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

Scanned with CamScanner

6. इच्छुक बोलीदाता द्वारा कार्यालय की सम्पदा शाखा/मंदिर प्रबन्धक से संपर्क कर बोली हेतु प्रस्तावित सम्पदाओं का भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है। सम्पदा जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में किराये पर दी जायेगी। यदि उसमें मरम्मत की आवश्यकता हो तो सफल निविदादाता/अनुबन्धकर्ता विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर उसकी मरम्मत करवा सकता है।

7. बोली स्वीकार करने, स्थगित करने, नीलामी की दिनांक आगे बढ़ाने, तथा बोली बिना कारण अस्वीकार करने तथा अन्य सभी अधिकार नीलामी कमेटी/आयुक्त/राज्य सरकार मे निहित होगें जो बोलीदाता को मान्य होगें।

8. अधिकतम राशि के बोलीदाता को निलामी समिति द्वारा सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा तथा उससे निर्धारित अमानत राशि जमा करायी जायेगी। प्रत्येक नीलामी राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी नवीन किराया नीति 2021 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकरण (सहायक आयुक्त/आयुक्तालय/शासन सचिव) के स्तर पर अनुमोदन के पश्चात ही अंतिम एवं प्रभावी होगी। राज्य सरकार द्वारा किसी भी नीलामी को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है। अस्वीकार करने की स्थिति मे जमा राशि बिना ब्याज के सफल बोलीदाता को लौटा दी जायेगी। आयुक्त/प्रमुख शासन सचिव महोदय देवस्थान विभाग से प्राप्त नीलामी अनुमोदन की सूचना सफल बोलीदाता को प्रदत्त मोबाईल नम्बर/ई–मेल आईडी/पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से लिखित रूप में उपलब्ध करवा दी जायेगी। सफल बोलीदाता को सूचना प्राप्ति की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर बकाया राशि जमा करा कर अनुबंध निष्पादित कर संपदा का कब्जा आवश्यक रूप से प्राप्त करेगा। उक्त नियत अवधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में नीलामी निरस्त कर जमा धरोहर/अमानत राशि जब्त की जा सकेगी।

9. निविदा में अंकित सम्पदाओं को अधिकतम दस वर्ष की समयावधि तक के लिए किराये पर दिया जायेगा तथा किराया राशि में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की उत्तरोत्तर वृद्धि की जावेगी। 10 वर्ष के पश्चात् अवधि बढाने/समाप्त करने के संबंध मे देवस्थान विभाग/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी इससे सम्बन्धित परिपत्रों तथा राजस्थान देवस्थान विभागीय किराया नीति–2021 के समस्त प्रावधान लागू होगे।

10. <u>अनुबंधपत्र/लीज डीडः–</u> सफल बोलीदाता द्वारा समस्त नीलामी राशि व अन्य बकाया राशि जमा करने के पश्चात किरायेनामे का अनुबन्ध पत्र/लीजडीड निष्पादित करना होगा। नीलामी की शर्ते एवं तत्प्रभावी जी.एफ.एण्ड ए.आर के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/देवस्थान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले परिपत्रों को अनुबन्ध पत्र में समाहित किया जायेगा। सफल बोलीदाता को अनुबन्ध पत्र पंजिकृत कराने का समस्त खर्च स्वयं वहन करना होगा।

11. <u>किराया जमा कराने की व्यवस्थाः–</u>किरायेदार मासिक किराया राशि जरिये नकद/चैक/ड्राफ्ट द्वारा इस कार्यालय मे एवं विभाग द्वारा ऑनलाईन जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराने पर उस अनुसार जमा करा सकेगा।

12. किरायेदार को अपनी सम्पति पर सहजदृश्य रूप मे विभागीय फोरमेट कलर कोड व साईज के अनुसार देवस्थान विभाग का नाम एवं सम्पदा का विवरण लिखना आवश्यक होगा।

13. विभागीय सम्पत्तियां जिस प्रयोजन के लिये दी गई है, उसका उसी प्रयोजन अनुरूप उपयोग किया जाएगा। प्रयोजन परिवर्तन पूर्णतः निषिद्व होगा तथा उनका नियमन नही

Scanned with CamScanner

किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति मे किरायेदार को परिवर्तन व संपरिवर्तन का अधिकार नही होगा। आवंटन के पश्चात् सम्पदा को उपकिरायेदारी/सहकिरायेदारी/साझेदारी पर देना निषेध रहेगा यदि ऐसा पाया जावे तो आवंटी एंव उपकिरायेदार/सहकिरायेदार/साझेदार की बेदखली करते हुये दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी एवं प्रतिभूति राशि जब्त की जावेगी।

14. विभागीय किरायेदार मंदिर मर्यादा के विरूद्ध कोई व्यवसाय या कार्यकलाप नही करेगा यथा मांस, मंदिरा विक्रय, जूआ, सटटा व विधि के विरूद्ध आपराधिक गतिविधियां संचालित नही करेगा न ही उसमें संलिप्त होगा। निषिद्व व्यवसायों की सूची देवस्थान विभाग समय–समय पर जारी करेगा, जिसको मानने के लिये किरायेदार अनिवार्य रूप से बाध्य होगा।

15. किरायेदार को किसी भी रूप से सम्पति को रहन करने या हस्तांतरित करने का अधिकार नही होगा।

16. व्यक्ति की स्थिति में प्रत्येक किरायेदार को आवश्यक रूप से अपना जन आधार नं/आधार न, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज का एक रंगीन फोटो देना होगा। आवश्यकतानुसार उसे अपना बैंक अकाउन्ट नंबर, ब्रांच और आईएफएससी कोड तथा पैन नम्बर भी प्रस्तुत करना होगा। संस्था की स्थिति में उनसे सम्बन्धित पंजीयन/लाईसेंस नम्बर तथा संस्था के मालिक/सदस्यों के आधार नं, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी तथा नवीनतम पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटो आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने होंगे।

17. व्यवसायिक सम्पतियो के संबंध मे प्रत्येक दुकानदार को अपने दुकान के साईनबोर्ड पर देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में साईज के अनुसार कलर बोर्ड में देवस्थान विभाग का नाम एवं संपदा का नाम व विवरण लिखना आवश्यक होगा। साईनबोर्ड पर दुकान के विधिक प्रोपराईटर का नाम आवश्यक रूप से लिखना होगा।

18. व्यवसायिक सम्पदाधारी को दुकान के भीतर उसे व्यवसाय से संबधित अपने वैध लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करना होगा। उक्त लाईसेंस या पंजीयन प्रमाण पत्र पर आवश्यक रूप से आवंटी का नाम होना चाहिये। यदि वह किसी फर्म या कम्पनी के नाम से है तो उसमें प्रोपराईटर का स्वामित्व आवश्यक रूप से आवंटी के नाम होना चाहिये। उक्त के अभाव में यह माना जायेगा कि मूल आवंटी किरायेदार द्वारा सम्पति को सबलेट कर नियमों का उल्लंघन किया गया है तथा उसकी किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही/राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगीयो की बेदखली) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

19. भवन के किसी भी विरूपण अथवा क्षति कारित किये जाने अथवा बिना अनुमति के परिवर्तन किये जाने अथवा शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर किरायेदारी समाप्त की जा सकेगी एवं किरायेदार नियमानुसार दण्डात्मक एवं बेदखली कार्यवाही का भागी होगा।

Scanned with CamScanner

20. विशेष परिस्थितियों में यदि किसी सम्पदा की नीलामी तिथि व समय में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो सम्बन्धित सम्पदा की नीलामी की तिथि व समय की सूचना बाद में पृथक से जारी कर दी जायेगी।

21. समस्त सम्पदाओ का न्यायिक क्षेत्र जोधपुर रहेगा।

22. निविदा मे उल्लेखित समस्त सम्पदाऐ देवस्थान विभाग की नवीन किराया नीति 2021 के नियमानुसार किराये पर दी जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध मे जारी नवीन नीति/नियम/परिपत्र इस निविदा के अन्तर्गत सफल बोलीदाता/किरायेदार पर अक्षरशः लागू होगें।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग जोधपुर

क्रमांक :– लेखा/देव/जोध./2022/4157 to 4180
दिनांक :– 23.12.2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदया, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त निविदा प्रक्रिया मे प्रधान कार्यालय का प्रतिनिधि नियत दिनांक पर भेजने का श्रम करावें एवं निविदा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
4. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. श्रीमान जिला कलक्टर, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त निलामी प्रक्रिया मे आपके प्रतिनिधि (राजपत्रित अधिकारी) को मनोनित कर नियत दिनांक को भिजवाने का श्रम करावें एवं उक्त प्रति सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार अनुमोदित दरो पर दो प्रमुख राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
7. श्रीमान् कोषाधिकारी, जोधपुर शहर
8. श्रीमान सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
9. श्रीमान आयुक्त, नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) जोधपुर को सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु।
10. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग भरतपुर/हनुमानगढ़/बीकानेर /जयपुर (प्रथम)/ उदयपुर/ वृन्दावन/ऋषभदेव /कोटा/ अजमेर/जयपुर (द्वितीय) को अपने कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना केन्द्र, जोधपुर।
12. सहायक अभियंता मुख्यालय, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
13. प्रबंधक, जसवन्त सराय, जोधपुर।
14. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग जोधपुर

Scanned with CamScanner